दिनांक 20.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 20/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 03 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 स्कूटी**
- **01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.09.2021 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–33ए, आरटीओ आफिस के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुभाष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 03 मोबाइल फोन, चोरी की 01 स्कूटी, 01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष निवासी संगम बिहार खोड़ा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 03 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 स्कूटी।

3–01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टुण्डला

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का आटो**
- **लूट का मोबाइल फोन, 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.09.2021 को थाना टुण्डला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोले ढाबा टुण्डला से 02 शातिर अभियुक्तों 1–सोनू 2–कालू उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का आटो , लूट का मोबाइल फोन, 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 28/29.08.2021 की रात्रि अज्ञात बदमाशों द्वारा आटो चालक से आटो लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना टुण्डला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी नगला पचिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

2–कालू उर्फ प्रदीप निवासी पूजा कालोनी मंगल बाजार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, हालपता नगला पचिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट का 01 आटो ।

2– लूट का मोबाइल फोन।

3– 500 रूपये नगद।

4– 02 अवैध तमंचा 315बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा</u>

- **अवैध शस्त्र कारतूस फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **निर्मित/अर्द्धनिर्मित 17 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **20 अवैध जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 20.09.2021 को थाना मौदहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मौदहा क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–अनिल कुमार उर्फ धुन्ना 2–बलवन्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से निर्मित/अर्द्धनिर्मित 17 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 20 अवैध जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मौदहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– अनिल कुमार उर्फ धुन्ना निवासी सिलौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

2–बलवन्त निवासी टीहर थाना विवार जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1—निर्मित/अर्द्धनिर्मित 17 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—20 अवैध जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद औरैया/थाना दिबियापुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 स्कार्पियो वाहन बरामद**

दिनांक 19/20.09.2021 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना दबियापुर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवम उर्फ मामू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 स्कार्पियो वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद औरैया के थाना दिबियापुर पर मारपीट, अपहरण, रंगदारी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दिबियापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—183/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम उर्फ मामू निवासी ग्राम ककुरिया थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1— 01 स्कार्पियों वाहन।

जनपद गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध पिस्टल, 60 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 20.09.2021 को थाना मुरादनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहबिस्वा स्कूल के पास से अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध पिस्टल, 60 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी लकड़ी मार्केट वेलकम सीलमपुर थाना वेलकम दिल्ली।

बरामदगी

1—04 अवैध पिस्टल, 60 जीवित कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना फरिहा

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **01 पिकअप बोलेरो वाहन बरामद**

दिनांक 20.09.2021 को थाना फरिहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना फरिहा क्षेत्र से शातिर अभियुक्त मौनपाल उर्फ मानपाल को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 पिकअप बोलेरो वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फरिहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मौनपाल उर्फ मानपाल निवासी ग्राम गोहाना थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।
2–चोरी की 01 पिकअप बोलेरो वाहन।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना रेलबाजार

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.09.2021 को थाना रेलबाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीओडी पुल के पास जंगल से शातिर अभियुक्त पुष्पम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना रेलबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पुष्पम निवासी शिवकटरा थाना चकेरी, कानपुर नगर।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

➢ **जनपद सीतापुर/थाना हरगॉव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्याः 17 सीतापुर द्वारा थाना हरगॉव पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376/323/342 भादवि में अभियुक्त सत्यप्रकाश को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफः विगत 14 वर्षों से फरार चल रहे व 50,000/— रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी कफील अहमद जयपुर (राजस्थान) से गिरफ्तार।

दिनॉकः 19—09—2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को वर्ष—2008 से फरार चल रहे व 50,000/—रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी कफील अहमद को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

कफील अहमद पुत्र लाल मियां निवासी अजीतबाग, थाना बाबूपुरवा, जनपद कानपुर नगर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी —

1. 01 अदद मोबाइल फोन
2. 120/— नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः— कन्डूरी गेट, ईदगाह के पीछे, बिल्लोचियान जनपद जयपुर, राजस्थान।

एस0टी0एफ उ0प्र0 को संगठित अपराध एवं अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाये प्राप्त हो रही थी। इस क्रम में एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर के निरीक्षक श्री लान सिंह को एक टीम गठित कर पुरस्कार घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से सूचनायें संकलन कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुये, जिसके क्रम में एस0टी0एफ फील्ड इकाई में नियुक्त मुख्य आरक्षी मोहर सिंह द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूचनायें संकलन की कार्यवाही की जाने लगी इस दौरान सूचना प्राप्त हई कि मु0अ0सं0—432/08 धारा 364/420/406/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद गोण्डा में वांछित एवं 50,000/—(पचास हजार रूपये) का पुरस्कार घोषित अपराधी कफील मुम्बई, दिल्ली, गुजरात एवं राजस्थान में छिप—छिपाकर फरारी काट रहा है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम जनपद जयपुर राजस्थान पहुॅची, वहॉ पर जानकारी हुई कि अभियुक्त कफील अहमद कन्डूरी गेट के पास खड़ा है यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है, इस पर एसटीएफ टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त कफील को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2008 में मु0अ0सं0—432/08 धारा 364/406/420/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा में उसके विरूद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसके चलते वह कानपुर नगर से भागकर मुम्बई चला गया जहॉ उसने लगभग 04 वर्षों तक फरारी काटी, उसके बाद दिल्ली में 02 वर्ष, सूरत, गुजरात में ढाई वर्ष की फरारी काटी एवं वर्ष—2016 से राजस्थान के जयपुर जनपद में अलग—अलग जगहों पर रहकर फरारी काट रहा था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त कफील अहमद के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा में आज दिनॉकः 20.09.2021 को वैधानिक कार्यवाही कर सम्बन्धित मु0अ0सं0—432/08 धारा 364/406/420/411 भा0द0वि0 में समय 04:17 बजे दाखिल किया गया।

————